

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्ष प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है। अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी का काउन्टर कलेम स्वीकार किया जाकर चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 4,5,6 की कुल 5.478 हैक्टर नहरी भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1. सरजीत सिंह पुत्र बंसत सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा- चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 5 के किला नं0 16/1 मे 0.038 हैक्टर, किला नं0 22 मे 0.038 हैक्टर, किला नं0 23 मे 0.051 हैक्टर, किला नं0 24 मे 0.177 हैक्टर, किला नं0 25/1 मे 0.157 हैक्टर कुल 0.461 हैक्टर, मु0 नं0 6 के किला नं0 3/2 मे 0.240 हैक्टर, किला नं0 7 मे 0.253 हैक्टर, किला नं0 8/1 मे 0.240 हैक्टर, किला नं0 13/2 मे 0.074 हैक्टर, किला नं0 14 मे 0.253 हैक्टर, किला नं0 17 मे 0.253 हैक्टर, किला नं0 18/1 मे 0.013 हैक्टर, किला नं0 23/2 मे 0.013 हैक्टर, किला नं0 24 मे 0.253 हैक्टर कुल 1.592 हैक्टर, कुल दोनो मुरब्बा मे 2.053 हैक्टर नहरी भूमि।
2. रणजीत सिंह पुत्र बंसत सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा- चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 6 के किला नं0 3/1 मे 0.013 हैक्टर, किला नं0 8/2 मे 0.013 हैक्टर, किला नं0 13/1 मे 0.179 हैक्टर, किला नं0 18/2 मे 0.240 हैक्टर, किला नं0 23/1 मे 0.240 हैक्टर, कुल 0.685 हैक्टर नहरी भूमि।
3. लखवीर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा- चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 4 के किला नं0 21 मे 0.253 हैक्टर, किला नं0 22/1 मे 0.101 हैक्टर कुल 0.354 हैक्टर, मु0 नु0 5 के किला नं0 16/2 मे 0.012 हैक्टर, किला नं0 25/2 मे 0.096 हैक्टर कुल 0.108 हैक्टर, मु0 नं0 6 के किला नं0 2/1 मे 0.065 हैक्टर, किला नं0 9/2 मे 0.100 हैक्टर, किला नं0 10/2 मे 0.088 हैक्टर, किला नं0 11,12,19,20,21,22 सालम कुल 1.771 हैक्टर, कुल तीनो मुरब्बो मे 2.233 हैक्टर नहरी भूमि।
4. निशान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा- चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 6 के किला नं0 1 मे 0.088 हैक्टर, किला नं0 10/1 मे 0.165 हैक्टर, कुल 0.253 हैक्टर नहरी भूमि।
5. मान सिंह पुत्र भपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा- चक 37 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 61/59 के मु0 नं0 6 के किला नं0 2/1 मे 0.100 हैक्टर, किला नं0 9/1 मे 0.153 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर नहरी भूमि।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुये पंचायती राजीनामा के अनुसार रणजीत सिंह की भूमि मे आने जाने के लिये प्रथम पक्ष सरजीत सिंह अपने हिस्सा व कब्जा के किला मु0 नं0 5 के किला नं0 22 व मु0 नं0 6 के किला नं0 3,8 व 13 की पश्चिमी दिशा मे 8 फुट रास्ता के लिये भूमि छोडेगा तथा भविष्य मे सरजीत सिंह अपने इस रास्ता मे आने जाने के लिये रणजीत सिंह या किसी अन्य को नही रोकेगा। रणजीत सिंह अपने किला 13,18,23 मे पूर्वी दिशा मे 8 फुट खाला के लिये भूमि छोडेगा। यह खाला किला नं0 13,18 मे से होता हुआ किला नं0 23 के सिरे तक जायेगा। रणजीत सिंह इस खाला को कभी भी बंद नही करेगा ओर इस खाला मे से सरजीत सिंह को अपने रकबा मे पानी लगाने से नही रोकेगा।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्व रिकार्ड मे अंकन हेतू प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



2018
 {श्रीमति रीना छिप्पा, आर.ए.एस}
 उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर, श्रीकरणपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर


क्रमांक :- राजस्व/2019/२।

दिनांक :- 16.11.19

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषय:- प्रकरण संख्या 129/2016 अनवान सरजीत सिंह बनाम रणजीत सिंह
आदि अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए में पारित निर्णय दिनांक
12.11.2018 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक
12.11.2018 के पृष्ठ संख्या 2 पेरा नं. 7 के पंक्ति संख्या 2 में तथा डिग्री दिनांक 12.11.2018
के पृष्ठ संख्या 1 के पेरा नं. 8 की पंक्ति संख्या 2 व 3 में अंकित मु. न. 5 के किला न. 22
के स्थान पर मु. न. 5 के किला न. 23 पढा जाने के आदेश दिए जाते हैं।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)